न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 11 / 2024 (राजसमन्द आर्डर)

रतनलाल पिता नानालाल जी जाट, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. माधवलाल पिता नानालाल जी जाट, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती गहरी पुत्री नानालाल जी जाट, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती इन्द्रा पत्नी माधवलाल जी जाट, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अ॰–1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा दिनांक
26.03.2024 प्रकरण संख्या 971 / 18

———/———

उपस्थित :– 1. श्री सुखराम डिडेल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रे.सं. 1 से 3

———::———

निर्णय **दिनांक 03–03–2025**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रेलमगरा में प्रार्थी एवं मूलवाद में प्रतिवादी संख्या 1 से 40 के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजियात स्थित है, जिसका विवरण वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्टों में किया गया है। प्रार्थी के पिता नानालाल वल्द लेहरूलाल थे, जिसकी मृत्यु सन् 1991 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:32 IST
Reason: SelfAttested

हो गयी एवं विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1560 से उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में अंकित हुई। नानालाल जी का सजरा निम्नानुसार है :–

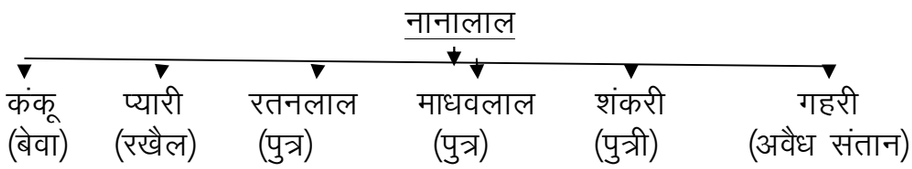

उक्त आराजियात प्रार्थी की मौरूसी होकर प्यारी नानालाल की रखैल होने से एवं गहरी अवैध पुत्री होने से उनका कोई हक अधिकार नहीं है, लेकिन तत्कालीन पटवारी ने नानालाल की मृत्यु पश्चात नामान्तरकरण संख्या 1590 में उनका नाम भी दर्ज कर दिया, जो गलत है। इस प्रकार विवादित आराजियात में नानालाल के हिस्से में उनके प्रत्येक विधिक वारिस अर्थात नानालाल की पत्नी कंकू का 1/12 हिस्सा, नानालाल की पुत्री शंकरी का 1/12 हिस्सा एवं नानालाल के पुत्र रतनलाल व माधवलाल प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा है, किन्तु शंकरी ने विपक्षी संख्या 4 के पक्ष में जो वसीयतनामा निष्पादित की, वह 1/6 हिस्से की कर दिया, जबकि उसका विवादित आराजियात में 1/12 हिस्सा ही था। इसी प्रकार कंकू के नाम भी 1/6 हिस्सा दर्ज हो गया, जिसका हकत्याग उनके द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया, जबकि कंकू का भी उक्त आराजियात में 1/12 हिस्सा ही था। विपक्षी संख्या 1 माधवलाल ने अपने हिस्से में दर्ज कुछ आराजियात का विक्रय विपक्षीगण को कर दिया है, जबकि माधवलाल अपने हिस्से तक ही भूमि का विक्रय कर सकते थे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला मूलवाद विपक्षी संख्या 1 से 4 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05–06–2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रार्थी रतनलाल द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15–03–2018 को स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 26–03–2024 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील दिनांक 16–04–2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुखराम डिडेल उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि मूलपुरूष लहरूलाल जी अपीलान्ट के दादा थे, जिसके एक मात्र वारिस नानालाल जी थे तथा नानालाल जी की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण विधिक वारिसों के नाम स्वीकृत होना चाहिए था, किन्तु वैधानिक वारिसों के अलावा बिना अधिकार वाले लोगों का नाम भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया, जिससे प्रकरण में विवाद उत्पन्न हुआ। नानालाल की मृत्यु 1991 में तथा उसकी पत्नी कंकू का देहावसान वर्ष 2011 में हो चुका है। कंकू अनपढ़ होने से सम्पूर्ण हिस्से का रजिस्टर्ड हक त्याग रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपने नाम करवा लिया, जो अपीलान्ट के मुकाबले अवैध व शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की गलत व्याख्या कर निर्णय पारित किया है। हिन्दू उत्तराधिकार में अवैध पत्नी व उनकी संतानों का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं होता है, क्योंकि विवादित आराजियात नानालाल जी की स्वअर्जित संपत्ति नहीं होकर मौरूसी संपत्ति है। आपसी सहमति से अपीलान्ट अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज होने तथा रेकार्ड में गलत दर्ज होने से मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जानी आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किये बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:32 IST
Reason: SelfAttested

की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाकर मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें AIR 1999 MADRAS Page 143, AIR 2020 SUPREME COURT Page 3717 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र पूर्व में दिनांक 05–06–2017 को लोक अदालत में खारिज हुआ है, जिसकी अपील आर.ए.ए. न्यायालय में होने पर आर.ए.ए. न्यायालय द्वारा मेरिट पर निर्णय करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया है, जिसकी पालना में मेरिट पर निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार मृतक के सभी वारिसान का सम्पत्ति में समान हक अधिकार होना मानते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। जमाबन्दी अनुसार विवादित आराजियात अपीलान्ट के पिता नानालाल के खाते की होकर अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्टगण के सहखातेदारी में हिस्से अनुसार दर्ज हैं। अपीलान्ट का कथन है कि श्रीमती प्यारी नानालाल की रखैल है तथा गहरी उसकी अवैध पुत्री है, जिनका विवादित आराजियात में कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। उनका यह भी विवादित आराजियात में श्रीमती कंकू 1/12 हिस्सा ही बनता है, जबकि उनके द्वारा 1/6 हिस्से का हकत्याग रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया है एवं इसी प्रकार श्रीमती शंकरी का भी विवादित आराजियात में 1/12 हिस्सा ही बनता है, जबकि उनके द्वारा भी 1/6 हिस्से कर वसीयत रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के पक्ष में कर दी गयी है, जो त्रुटि पूर्ण हैं। पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15–03–2018 को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दुओं पर कोई निर्णय नहीं किया है एवं मात्र एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:32 IST
Reason: SelfAttested

पैराग्राफ में निर्णय पारित करते हुए गहरी को नानालाल की जाईन्दा पुत्री मानकर उसका पिता की सम्पत्ति में समान हक अधिकार मानते हुए तथा प्रार्थी द्वारा चार पीढ़ियों का विवरण प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–03–2024 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर साक्ष्यों के आधार पर विवचेन करते हुए निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 03–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:32 IST
Reason: SelfAttested